

## प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़, दिनांक 01.04.2025

### थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी  
थाना कन्धई पुलिस द्वारा दुष्कर्म व पाँक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार  
थाना कन्धई पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के दोहरी पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कन्धई पर दि0-05.03.2025 को अन्तर्गत धारा 333, 351(1) व (2), 74 बीएनएस व 7/ 8 पाक्सो एक्ट बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी कन्धई श्री अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में उ0नि0राजेश कुमार मय हमराह का0 अमित प्रताप सिंह द्वारा दिनांक 01.04.2025 को देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना महेशगंज में पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 333, 351(1) व (2), 65(2) बीएनएस व 5M/6 पाक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त जनक वर्मा उर्फ भगत पुत्र सीताराम वर्मा निवासी तिगुड़ी थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र दोहरी पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

जनक वर्मा उर्फ भगत पुत्र सीताराम वर्मा निवासी तिगुड़ी थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0राजेश कुमार मय हमराह का0 अमित प्रताप सिंह थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ ।

### थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़

बीट आरक्षी की सतर्कता से 01 गैंगस्टर गिरफ्तार

थाना उदयपुर के आरक्षी ने गैंगस्टर अभियुक्त पर कसा शिकंजा

आरक्षी प्रमोद कुमार ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर

एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना उदयपुर के आरक्षी प्रमोद कुमार को दिया जाएगा प्रशस्ति-पत्र

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत सेमरा नहर पुलिया से गैंगस्टर विनोद सिंह पुत्र अमलदार सिंह गिरफ्तार

गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्त पर हत्या, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट जैसे संगीन अपराधों में अभ्यस्त

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है-

इसी क्रम में बहादुर आरक्षी प्रमोद कुमार के सहयोग से आज दिनांक 01.04.2025 को थाना उदयपुर पुलिस द्वारा थाना उदयपुर के मु0अ0सं0 44 / 2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 में 01 वांछित अभियुक्त विनोद सिंह पुत्र अमलदार सिंह नि०ग्रा० ईश्वरी सिंह का पुरवा मजरे कुम्भी आइमा थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र उदयपुर के सेमरा नहर पुलिया से गिरफ्तार किया गया ।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- अभियुक्त विनोद सिंह पुत्र अमलदार सिंह नि०ग्रा० ईश्वरी सिंह का पुरवा मजरे कुम्भी आइमा थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

आपराधिक इतिहास- विनोद सिंह पुत्र अमलदार सिंह नि०ग्रा० ईश्वरी सिंह का पुरवा मजरे कुम्भी आइमा थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 43/23 धारा 302,286,504,120बी भादवि थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

2- मु0अ0सं0 44 / 2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 ।

### **थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़**

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा दुष्कर्म व आईटी एक्ट के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना आसपुर देवसरा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के जलपा नहर पुलिया के पास गिरफ्तार किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी की पुत्री के साथ दुष्कर्म करना व विडियों बनाकर वायरल करने के प्रकरण में थाना आसपुर देवसरा पर दिनांक 31.03.2025 को धारा 64/351 (3) / 352 बीएनएस 3/4 पाक्सो एक्ट 67 (B) IT ACT बनाम 01 नामजद अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण व थाना आसपुर देवसरा प्रभारी उ0नि0 श्री संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में निरीक्षक अयोध्या प्रसाद मय हमराह उ0नि0 विजय कुमार, आरक्षी मोनू द्वारा दिनांक 01.04.2025 को देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर धारा 64/351 (3) / 352 बीएनएस 3/4 पाक्सो एक्ट 67 (B) IT ACT से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त ईराक उर्फ टीटू उर्फ इन्साफ अली पुत्र शेर अली निवासी सुखपाल नगर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र के जलपा नहर पुलिया के पास गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

ईराक उर्फ टीटू उर्फ इन्साफ अली पुत्र शेर अली निवासी सुखपाल नगर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम का विवरण-

निरीक्षक अयोध्या प्रसाद मय हमराह उ0नि0 विजय कुमार, आरक्षी मोनू थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।

### थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना महेशगंज पुलिस द्वारा दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महेशगंज पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के हीरागंज बाजार से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना महेशगंज पर दि0-23.03.2025 को अन्तर्गत धारा 64 (2)M/89/131/352/351 (3) BNS व 5L/6 पाक्सो एक्ट बनाम 07 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी महेशगंज श्री मुकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह का0 लालबहादुर वर्मा द्वारा दिनांक 01.04.2025 को देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना महेशगंज में पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 64 (2)M/89/131/352/351 (3) BNS व 5L/6 पाक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त मोहित यादव उर्फ राजबाबू यादव पुत्र लालप्रताप यादव निवासी रायगढ़ डींगुर सिंह का पुरवा थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र हीरागंज बाजार से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मोहित यादव उर्फ राजबाबू यादव पुत्र लालप्रताप यादव निवासी रायगढ़ डींगुर सिंह का पुरवा थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह का0 लालबहादुर वर्मा थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

### माह मार्च में प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा कृत सराहनीय कार्य-

अपराध नियंत्रण / कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु प्रतापगढ़ पुलिस की कार्यवाही जारी-

59 गैंगस्टर के विरुद्ध विभिन्न थानों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कुल 16 अभियोग पंजीकृत थाना अंतू से 03, थाना कोतवाली नगर से 02, थाना उदयपुर से 02, थाना महेशगंज से 01, थाना देल्हूपुर से 01, थाना मान्धाता से 01, थाना पट्टी से 01, थाना सांगीपुर से 01, थाना संग्रामगढ़ से 01, थाना लालगंज से 01, थाना लीलापुर से 01 व थाना कुण्डा से 01 गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग दर्ज किये गये

वर्ष-2025 में गैंगस्टर के कुल 34 अभियोग पंजीकृत करते हुए, उत्तर प्रदेश में जनपद प्रतापगढ़ का अभियोग पंजीकरण में प्रथम स्थान है-

माह मार्च में हुए 06 पुलिस मुठभेड़ में कुल 10 शातिर अभियुक्त घायल/ गिरफ्तार, जिसमें 07 अभियुक्त मुठभेड़ के दौरान घायल

-थाना पट्टी, थाना फतनपुर, थाना कोतवाली देहात, थाना आसपुर देवसरा, थाना बाघराय, थाना पट्टी में गिरफ्तारी के दौरान हुई पुलिस मुठभेड़

मादक पदार्थों का निस्तारण/विनष्टीकरण कराया गया जिसकी अनुमानित कीमत कुल- 2,07,45,000/- (दो करोड, सात लाख पैतालिस हजार) रुपये

पुरस्कार घोषित कुल 05 अभियुक्त गिरफ्तार,

50 हजार रुपये के 03 इनामिया, 25 हजार रुपये के 01 इनामिया तथा 15 हजार रुपये का 01 इनामिया गिरफ्तार

02 गैंग सूचीबद्ध किये गये 08 अपराधियों के विरुद्ध-

गैंग लीडर व गैंग सदस्यों के आपराधिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने हेतु किया गया सूचीबद्ध

पेशवर अपराधियों की सतर्क निगरानी हेतु माह मार्च में खोली गई कुल 04 एचएस (हिस्ट्रीशीट)

थाना अन्तू में 02, थाना पट्टी में 01 तथा थाना सांगीपुर में 01 हिस्ट्रीशीट इस प्रकार कुल 04 हिस्ट्रीशीट (एचएस) खोला गया

12 अभियुक्तों के विरुद्ध की गई गुण्डा एक्ट की कार्यवाही

आपरेशन कन्विकशन के तहत मा0 न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा 02 अभियुक्त को 07 वर्ष से अधिक कारावास की सुनाई गई सजा

यूपी-112 प्रतापगढ़ पीआरवी वाहनों का कम हुआ औसत रिस्पांस टाइम

माह जुलाई- 10.55 मिनट, माह अगस्त- 08.52 मिनट, माह सितम्बर- 08.10, माह, ... . माह मार्च में 06.13 मिनट रहा औसत रिस्पांस टाइम

जनपद प्रतापगढ़ साइबर क्राइम थाना द्वारा ऑनलाइन ठगी के शिकार 01 पीड़ित के ₹25,000/- रुपये वापस कराये गए।

यातायात पुलिस प्रतापगढ़ द्वारा चेकिंग के दौरान 5208 वाहनों का चालान, 51 वाहनों को सीज किया गया तथा नो पार्किंग में खड़े 32 वाहनों को टोचन तथा 943 वाहनों का किया गया चालान

यातायात पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाकर 1065 वाहनों में लगाया गया रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप

प्रतापगढ़ ।

अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन प्रयागराज श्री भानू भास्कर, पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज श्री प्रेम गौतम के पर्यवेक्षण एवं पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं आपराधिक क्रियाकलापों

में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक(पूर्वी) श्री दुर्गेश कुमार सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक(पश्चिमी) श्री संजय राय एवं समस्त क्षेत्राधिकारी के कुशल मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्यवाही जारी है।

59 गैंगस्टर के विरुद्ध विभिन्न थानों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कुल 16 अभियोग पंजीकृत थाना अंतू से 03, थाना कोतवाली नगर से 02, थाना उदयपुर से 02, थाना महेशगंज से 01, थाना देल्हूपुर से 01, थाना मान्धाता से 01, थाना पट्टी से 01, थाना सांगीपुर से 01, थाना संग्रामगढ़ से 01, थाना लालगंज से 01, थाना लीलापुर से 01 व थाना कुण्डा से 01 गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग दर्ज किये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त गैंगस्टर अभियुक्तों की गिरफ्तारी में बीट पुलिस कर्मियों (मुख्य आरक्षी/आरक्षी) की अहम भूमिका रही है। अदम्य साहसपूर्ण एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले बहादुर बीट आरक्षियों को एसपी द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर उनका उत्साहवर्द्धन किया गया।

06 पुलिस मुठभेड़, 10 गिरफ्तारी-

01. दिनांक 01.03.2025 को थाना पट्टी व थाना आसपुर देवसरा की संयुक्त टीम द्वारा थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत वनपुरवा पेट्रोल पंप के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी। आत्म सुरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जबाबी फायरिंग में हुई मुठभेड़ में लूट के अभियोग से संबंधित 01 अन्तर्जनपदीय शातिर अभियुक्त सोनू तिवारी पुत्र रुद्रमणि तिवारी निवासी अखंडनगर थाना अखण्ड नगर, जनपद सुल्तानपुर उम्र करीब 35 वर्ष के दाहिने पैर में लगी गोली एवं अन्य 01 अन्तर्जनपदीय अभियुक्त ओमप्रकाश दुबे पुत्र कृपा शंकर दुबे निवासी सिंघपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 55 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है। उक्त गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर थाना पट्टी में मु0अ0सं0-53/2025 धारा-109(1) बीएनएस व धारा-3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

02. दिनांक 05.03.2025 को थाना फतनपुर व स्पेशल टीम की संयुक्त टीम द्वारा थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत गीता नगर कैलीडीह रोड पर पुलिया के पास रात्रि गश्त व चेकिंग के दौरान अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी। आत्म सुरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जबाबी फायरिंग में हुई मुठभेड़ में चोरी के अभियोग से संबंधित 02 अन्तर्जनपदीय शातिर अभियुक्त, संतोष कुमार यादव पुत्र राजकुमार यादव निवासी गौरा पूरे माफी थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ के दाएं पैर व अजय लोना पुत्र दयाराम निवासी अतरडीहा थाना सरपतहा जनपद जौनपुर के वाएं पैर में गोली लगी है। अन्य 02 अभियुक्त, कैफ पुत्र शकील निवासी रामपुर बजहा थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़ 4. मनोज यादव पुत्र राजकुमार यादव निवासी गौरा पूरे माफी थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ को मौके से गिरफ्तार किया गया है। उक्त गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर थाना फतनपुर में मु0अ0सं0- 45/2025 धारा-109(1), 317(2),317(4), 352,351(3) बीएनएस व धारा-3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

03. दिनांक 07.03.2025 को थाना कोतवाली देहात व स्वाट टीम की संयुक्त टीम द्वारा थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत ATL ग्राउंड के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी। आत्म सुरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जबाबी फायरिंग में हुई मुठभेड़ में लूट के अभियोग से संबंधित 01 अन्तर्जनपदीय शातिर अभियुक्त अरविन्द बिन्द पुत्र रामनारायन बिन्द निवासी ग्राम देनवा दुबौली थाना पट्टी, प्रतापगढ़ के दाहिने पैर में लगी गोली/ गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में थाना कोतवाली देहात में मु0अ0सं0-52/25 धारा-109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत है।

04. दिनांक 12.03.2025 को थाना आसपुर देवसरा थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह मय हमराह व थाना पट्टी के उ0नि0 अतर सिंह, उ0नि0 लक्ष्मीकान्त सिंह सेंगर मय हमराह संयुक्त टीम द्वारा थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत उदईशाहपुर मोड़ के

पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी। आत्म सुरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जबाबी फायरिंग में हुई मुठभेड़ में लूट के अभियोग से संबंधित 01 अन्तर्जनपदीय शातिर अभियुक्त लालचन्द्र गौतम पुत्र कालीदीन निवासी ग्राम पुराबलई थाना बदलापुर जनपद जौनपुर उम्र करीब 25 वर्ष के पैर में गोली लगी है। अन्य शातिर 02 अभियुक्तों, 1. आकाश गौतम पुत्र ओम प्रकाश गौतम निवासी ग्राम बैजलपुर थाना आसपुर देवसरा प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष, 2. प्रदीप कुमार गौतम पुत्र हरिलाल गौतम निवासी ग्राम बैजलपुर थाना आसपुर देवसरा प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत को पचौरी मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया है। उक्त गिरफ्तारी/ बरामदगी के संबंध में थाना आसपुर देवसरा में मु0अ0सं0 65/25 धारा-109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत है।

05. दिनांक 22.03.2025 को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत हरबसपुर नहर पुलिस के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी। आत्म सुरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जबाबी फायरिंग में हुई मुठभेड़ में लूट के अभियोग से संबंधित 01 शातिर अभियुक्त अतुल शुक्ला उर्फ बडकऊ पुत्र त्रिभुवन शुक्ला निवासी ग्राम सियरा बेधन गोपालपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ के दाहिने पैर में लगी गोली/ गिरफ्तार किया गया है। उक्त गिरफ्तारी/ बरामदगी के संबंध में थाना बाघराय में मु0अ0सं0 65/25 धारा-109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत है।

06. दिनांक 26.03.2025 को थाना पट्टी, थाना आसपुर देवसरा पुलिस व स्पेशल टीम की संयुक्त टीम द्वारा थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत भरोखन पुलिस तथा कलिना नहर पुलिस के बीच चेकिंग के दौरान अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी। आत्म सुरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जबाबी फायरिंग में हुई मुठभेड़ में गोवध निवारण, पशु क्रूरता, हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 25000/- रुपये के इनामिया 01 शातिर अभियुक्त विनोद गौतम पुत्र छोटेलाल गौतम निवासी सलाहपुर थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष के दाहिने पैर में गोली है एवं अन्य 01 अभियुक्त शेरु पुत्र मुंशी निवासी गुरसण्डा टाडा थाना पिसावा जनपद सीतापुर हाल पता फत्तूपुर थाना बदलापुर जनपद जौनपुर मौके से गिरफ्तार किया गया है। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना पट्टी में मु0अ0सं0 81/2025 धारा 109(1),303(2),317(2)(4) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत है।

पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी-

50000/- रुपये से पुरस्कार घोषित 03 इनामिया गिरफ्तार

01- तवरेज पुत्र सामूद अली निवासी ग्राम रामपुर बन्तरी थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़

(गिरफ्तारी एसटीएफ कानपुर व थाना मान्धाता)

02-गुलाम उर्फ काकड़ी पुत्र सब्दर निवासी अमन कानूनी ईरानी डेरा थाना निशातपुर जनपद भोपाल मध्य प्रदेश(एसटीएफ व थाना कोतवाली नगर)

03- जुनैद अहमद पत्र आजाद अली निवासी ग्राम रामदेव पट्टी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ (गिरफ्तारी एसटीएफ व थाना रानीगंज )

25 हजार रुपये से पुरस्कार घोषित 01 इनामिया गिरफ्तार

01- विनोद कुमार पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम खनिक सराय सलाहपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ (गिरफ्तारी थाना कंधई पुलिस)

15 हजार रुपये से पुरस्कार घोषित 01 इनामिया गिरफ्तार

1- मान्धाता सिंह उर्फ मनु पुत्र रनबहादुर सिंह निवासी ग्राम डिहा थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ (गिरफ्तारी थाना हथिगवां पुलिस)

मादक पदार्थों का निस्तारण/विनिष्ठीकरण कराया गया जिसकी अनुमानित कीमत कुल- 2,07,45,000/- (दो करोड, सात लाख पैतालिस हजार) रुपये विनिष्ठीकरण माल का विवरण-

थाना कोहंडौर के 06 कुंतल 91 किग्रा 500 ग्राम अवैध गांजा अनुमानित कीमत- 2,07,45,000/- (दो करोड, सात लाख पैतालिस हजार) रुपये पूर्व में जब्त किया गया था। जब्त अवैध गांजा को मा0 न्यायालय से अनुमति प्राप्त करके दिनांक- 04.03.2025 को पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के साथ रॉयल पॉल्यूशन कंट्रोल सर्विस चाँदपुर सैदोपट्टी जनपद सुल्तानपुर में नियमानुसार विनिष्ठीकरण कराया गया।

02 गैंग सूचीबद्ध किया गया 08 अभियुक्तों के विरुद्ध

माह मार्च में जनपद प्रतापगढ़ में आपराधिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने हेतु 08 अभियुक्तों के विरुद्ध 02 गैंग सूचीबद्ध किया गया। जिनका विवरण निम्नवत् है-

1- गैंग नम्बर:-डी0-173/25 पंजीकृत दिनांक:-06.03.2025 थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़, बनाम 04 अभियुक्त गैंग प्रकार- हत्या कारित करना,

2- गैंग नम्बर:-डी0-174/25 पंजीकृत दिनांक:-08.03.2025 थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़, बनाम 04 अभियुक्त गैंग प्रकार- हत्या, लूट, डकैती व चोरी कारित करना

जनपद प्रतापगढ़ साइबर क्राइम थाना द्वारा ऑनलाइन ठगी के शिकार 01 पीड़ित के ₹25,000/- रुपये वापस कराये गए।

साइबर क्राइम थाना प्रतापगढ़ UPI के माध्यम से आहरण कर लेने/ आनलाइन ठगी के शिकार 01 पीड़ित के ₹25,000/- रुपये वापस कराये गए।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध पर प्रभावी रोकथाम एवं पेशेवर अपराधियों की सतर्क निगरानी हेतु खोली गई 04 हिस्ट्रीशीट – जनपद प्रतापगढ़ में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने एवं अपराध नियंत्रण के दृष्टिगत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा उच्चाधिकारियों के नेतृत्व में लगातार अपराधियों पर बड़ी कार्यवाही करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है एवं पेशेवर/अभ्यस्त अपराधियों को चिन्हित कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही जारी है।

माह मार्च में जघन्य अपराधों में संलिप्त अपराधियों की सतर्क निगरानी/ सत्यापन हेतु माह मार्च में प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा विभिन्न थानों में कुल 04 हिस्ट्रीशीट (एचएस) खोली गई।

थाना अन्तू में 02, थाना पट्टी में 01 तथा थाना सांगीपुर में 01 हिस्ट्रीशीट इस प्रकार कुल 04 हिस्ट्रीशीट (एचएस) खोला गया।

12 अभियुक्तों के विरुद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही

लूट, बलवा, हत्या का प्रयास, दुष्कर्म, छेड़खानी, मारपीट, आर्म्स व एनडीपीएस एक्ट जैसे संगीन अपराधों में संलिप्त 12 अभियुक्तों के विरुद्ध गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। जिसमें थाना अन्तू में 04, थाना बाघराय में 02, थाना मान्धाता में 02, थाना कोतवाली नगर में 01, थाना सांगीपुर में 01, थाना पट्टी में 01 व थाना आसपुर देवसरा में 01 अभियुक्तों के विरुद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गई है।

आपरेशन कन्विक्शन अभियान-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा शासन के मंशा के अनुरूप चिन्हित अपराधों में त्वरित सजा सुनिश्चित कराने हेतु चलाये गये आपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रतापगढ़ पुलिस एवं अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0

न्यायालय द्वारा 01 प्रकरण में 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। 02 प्रकरणों में 02 अभियुक्तों को 07 वर्ष से अधिक की सजा सुनाई गई।

बयान –जनपद में कानून-व्यवस्था को कायम रखने एवं अपराध नियंत्रण हेतु प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा जीरो टॉलरेंश नीति के तहत अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी है। जनपदवासियों की सुरक्षा एवं सम्मान सुनिश्चित करने हेतु प्रतापगढ़ पुलिस संकल्पित एवं समर्पित है। नागरिकों की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण समाधान/शान्ति व्यवस्था हेतु सभी अधिकारी/थाना प्रभारियों व पुलिस कर्मियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिये गये हैं।

डॉ0 अनिल कुमार,  
पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़।

### **जनपद प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा 13 गैंगस्टर के विरुद्ध के 03 अभियोग किये गए पंजीकृत-**

एसपी डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध नियंत्रण पर थाना लालगंज पुलिस द्वारा 07 अभियुक्तों, थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 04 अभियुक्तों, थाना उदयपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों के विरुद्ध की गई गैंगस्टर की कार्यवाही-

जनपद प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा हत्या, गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन अपराध कारित करने वाले कुल 13 अभियुक्तों के विरुद्ध की गई गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही-

वर्ष-2025 में गैंगस्टर के कुल 34 अभियोग पंजीकृत करते हुए, उत्तर प्रदेश में जनपद प्रतापगढ़ का अभियोग पंजीकरण में प्रथम स्थान है-

उक्त अभियोगों से संबंधित 09 अभियुक्त पूर्व से जेल में निरुद्ध हैं, थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

प्रतापगढ़।

श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज जोन प्रयागराज श्री भानू भास्कर व पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज श्री प्रेम गौतम के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है।

01- थाना लालगंज-

अपर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के कुशल निर्देशन में थाना लालगंज प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार यादव के नेतृत्व में दिनांक 31.03.2025 को जनपद स्तर पर सक्रिय एक आपराधिक संगठित गिरोह के गैंगलीडर 1-सचिन वर्मा पुत्र पुत्तन वर्मा नि0ग्राम गिरधर सहाय का पुरवा, तिना, थाना लीलापुर, प्रतापगढ़, सदस्य 2-सहदेव पुत्र शिवदर्शन नि0ग्राम गिरधर सहाय का पुरवा, तिना, थाना लीलापुर, प्रतापगढ़, 3-विजय पुत्र चन्द्रप्रकाश नि0ग्राम गिरधर सहाय का पुरवा, तिना, थाना लीलापुर, प्रतापगढ़, 4-राहुल वर्मा पुत्र चन्द्र प्रकाश नि0ग्राम गिरधर सहाय का पुरवा, तिना, थाना लीलापुर, प्रतापगढ़, 5-आशीष पुत्र मोतीलाल नि0ग्राम गिरधर सहाय का पुरवा, तिना, थाना लीलापुर, प्रतापगढ़, 6-शनि वर्मा पुत्र विजय वर्मा नि0ग्राम गिरधर सहाय का पुरवा, तिना, थाना लीलापुर, प्रतापगढ़, 7- वीरेन्द्र वर्मा पुत्र विजयपाल वर्मा नि0ग्राम गिरधर सहाय का पुरवा, तिना, थाना लीलापुर, प्रतापगढ़ के विरुद्ध थाना लालगंज में मु0अ0सं0



117/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्त अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर संगठित तरीके हत्या जैसी घटना कारित किया है। जिसमें 07 अभियुक्त पूर्व से जेल में निरुद्ध है।

गैंगलीडर व सदस्य के द्वारा थाना लालगंज क्षेत्रा0 ग्राम चकौडिया में विवाह समारोह में इन्द्रपीत, पवनदीप को जान से मारने की नियति से मारपीट कर चोटें पहुँचाकर इन्द्रपीत व पवनदीप की मौके पर ही हत्या कर दी गयी थी, एवं विशाल को गम्भीर रूप से घायल कर दिया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 478/2024 धारा 191(2)/ 191(3)/ 191(1)/ 103(2)/ 352/ 351(3) बीएनएस व 3(1) द/ 3(1)घ/ 3(2)5क/ 3(2)5 एससी एसटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

आपराधिक इतिहास-

01- गैंगलीडर सचिन वर्मा पुत्र पुत्तन वर्मा नि0ग्राम गिरधर सहाय का पुरवा, तिना, थाना लीलापुर, प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 478/2024 धारा 191(2)/ 191(3)/ 191(1)/ 103(2)/ 352/ 351(3) बीएनएस व 3(1) द/ 3(1)घ/ 3(2)5क/ 3(2)5 एससी एसटी एक्ट थाना लालगंज, प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 750/2021 धारा147/352/427/504/506 भादवि थाना लालगंज, प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0 493/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लालगंज, प्रतापगढ़।
04. मु0अ0सं0 490/2022 धारा 143/286 भादवि थाना लालगंज, प्रतापगढ़।

02- सहदेव पुत्र शिवदर्शन नि0ग्राम गिरधर सहाय का पुरवा, तिना, थाना लीलापुर, प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 478/2024 धारा 191(2)/ 191(3)/ 191(1)/ 103(2)/ 352/ 351(3) बीएनएस व 3(1) द/ 3(1)घ/ 3(2)5क/ 3(2)5 एससी एसटी एक्ट थाना लालगंज, प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 750/2021 धारा147/352/427/504/506 भादवि थाना लालगंज, प्रतापगढ़।

03- विजय पुत्र चन्द्रप्रकाश नि0ग्राम गिरधर सहाय का पुरवा, तिना, थाना लीलापुर, प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 478/2024 धारा 191(2)/ 191(3)/ 191(1)/ 103(2)/ 352/ 351(3) बीएनएस व 3(1) द/ 3(1)घ/ 3(2)5क/ 3(2)5 एससी एसटी एक्ट थाना लालगंज, प्रतापगढ़।

04- राहुल वर्मा पुत्र चन्द्र प्रकाश नि0ग्राम गिरधर सहाय का पुरवा, तिना, थाना लीलापुर, प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 478/2024 धारा 191(2)/ 191(3)/ 191(1)/ 103(2)/ 352/ 351(3) बीएनएस व 3(1) द/ 3(1)घ/ 3(2)5क/ 3(2)5 एससी एसटी एक्ट थाना लालगंज, प्रतापगढ़।

05- आशीष पुत्र मोतीलाल नि0ग्राम गिरधर सहाय का पुरवा, तिना, थाना लीलापुर, प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 478/2024 धारा 191(2)/ 191(3)/ 191(1)/ 103(2)/ 352/ 351(3) बीएनएस व 3(1) द/ 3(1)घ/ 3(2)5क/ 3(2)5 एससी एसटी एक्ट थाना लालगंज, प्रतापगढ़।

06- शनि वर्मा पुत्र विजय वर्मा नि0ग्राम गिरधर सहाय का पुरवा, तिना, थाना लीलापुर, प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 478/2024 धारा 191(2)/ 191(3)/ 191(1)/ 103(2)/ 352/ 351(3) बीएनएस व 3(1) द/ 3(1)ध/ 3(2)5क/ 3(2)5 एससी एसटी एक्ट थाना लालगंज, प्रतापगढ़ ।

07- वीरेन्द्र वर्मा पुत्र विजयपाल वर्मा नि0ग्राम गिरधर सहाय का पुरवा, तिना, थाना लीलापुर, प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 478/2024 धारा 191(2)/ 191(3)/ 191(1)/ 103(2)/ 352/ 351(3) बीएनएस व 3(1) द/ 3(1)ध/ 3(2)5क/ 3(2)5 एससी एसटी एक्ट थाना लालगंज, प्रतापगढ़ ।

2- थाना लीलापुर-

अपर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के कुशल निर्देशन में थाना लीलापुर प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में दिनांक 31.03.2025 को जनपद स्तर पर सक्रिय एक आपराधिक संगठित गिरोह के गैंगलीडर 01. अमृतलाल पुत्र रामदीन निवासी ग्राम पुरे गिरधर सहाय तिना थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ 02. राजाराम पुत्र रामदीन निवासी ग्राम पुरे गिरधर सहाय तिना थाना लापुर जनपद प्रतापगढ़ 03. पवन पुत्र राकेश निवासी ग्राम पुरे गिरधर सहाय तिना थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ 04. बल्लू उर्फ रामबचन पुत्र हरिसरन सरोज निवासी ग्राम तिना थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध थाना लीलापुर में मु0अ0सं0 65/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

गैंगलीडर 01. अमृतलाल व सदस्य राजाराम, पवन, बल्लू उर्फ रामबचन के साथ मिलकर संगठित तरीके हत्या जैसी घटना कारित किया है । जिसमें 01 अभियुक्त पूर्व से जेल में निरुद्ध है, 01 अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लिया गया है ।

दिनांक 14.08.2022 को थाना लीलापुर क्षेत्रा0 ग्राम पुरे गिरधरसहाय तिना नहर पुलिया के पास वादिनी के पति को पुरानी रंजिश के कारण गांव के रहने वाले अमृतलाल व राजाराम सुत गण रामदीन व पवन सुत राकेश बल्लू सुत हरिशरन सरोज निवासी ग्राम तिना थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ के द्वारा एक राय होकर लाठी डन्डे व कुल्हाडी से मारा पीटा गया, जिससे वादिनी के पति की ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई । जिसके संबंध में वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 29/2022 धार 34,302,323 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

आपराधिक इतिहास-

01- गैंगलीडर 01. अमृतलाल पुत्र रामदीन निवासी ग्राम पुरे गिरधर सहाय तिना थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 29/2022 धारा 34/302/323 भादवि थाना लीलापुर, प्रतापगढ़ ।

02. मु0अ0सं0 19/2025 धारा 352, 351(2) बीएनएस थाना लीलापुर, प्रतापगढ़ ।

02- राजाराम पुत्र रामदीन निवासी ग्राम पुरे गिरधर सहाय तिना थाना लापुर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 29/2022 धारा 34/302/323 भादवि थाना लीलापुर, प्रतापगढ़ ।

02. मु0अ0सं0 19/2025 धारा 352, 351(2) बीएनएस थाना लीलापुर, प्रतापगढ़ ।

03- पवन पुत्र राकेश निवासी ग्राम पुरे गिरधर सहाय तिना थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 29/2022 धारा 34/302/323 भादवि थाना लीलापुर, प्रतापगढ़ ।

02. मु0अ0सं0 19/2025 धारा 352, 351(2) बीएनएस थाना लीलापुर, प्रतापगढ़ ।

- 04- बब्लू उर्फ रामबचन पुत्र हरिसरन सरोज निवासी ग्राम तिना थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-  
01. मु0अ0सं0 29/2022 धारा 34/302/323 भादवि थाना लीलापुर, प्रतापगढ़ ।  
02. मु0अ0सं0 19/2025 धारा 352, 351(2) बीएनएस थाना लीलापुर, प्रतापगढ़ ।

### 3- थाना उदयपुर-

अपर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के कुशल निर्देशन में थाना प्रभारी उदयपुर राधेबाबू के नेतृत्व में दिनांक 31.03.2025 को जनपद स्तर के सक्रिय एक आपराधिक संगठित गिरोह के गैंगलीडर ओम प्रकाश सिंह उर्फ पुराने सिंह पुत्र राजनरायन सिंह निवासी ग्राम ईश्वरी सिंह का पुरवा मजरे कुम्भी आइमा थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ तथा वर्तमान पता आदर्श नगर शुक्लागंज थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव व सदस्य 2- विनोद सिंह पुत्र अमलदार सिंह निवासी ग्राम ईश्वरी सिंह का पुरवा मजरे आइमा थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध थाना उदयपुर पर मु0अ0सं0 44/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है

गैंगलीडर 01. ओम प्रकाश सिंह उर्फ पुराने सिंह व सदस्य विनोद सिंह के साथ मिलकर संगठित तरीके हत्या जैसी घटना कारित किया है। जिसमें 01 अभियुक्त पूर्व से जेल में निरुद्ध है।

वादी द्वारा थाना उदयपुर में तहरीर दी गई थी कि दिनांक 01/05/2023 को वादी के लडके की शादी का कार्यक्रम घर पर चल रहा था। परिवार के सभी लोग गांव परिवार के लोगो को खाना खिलाने में व्यस्त थे, तभी गांव के ओम प्रकाश सिंह उर्फ पुराने सिंह पुत्र राज नरायन सिंह द्वारा जान में मारने की नियत से वादी के भाई को तमंचे से गोली मार दिया। वादी का भाई वही पर घायल होकर गिर गया तथा ओम प्रकाश ( पुराने ) गाली गलौज करते व हुए फायर करते हुए मौके से भाग गया। परिवार के लोग पकड़ने का प्रयास किए अपनी मोटर सायकिल वहीं छोड़कर गाँव के ही विनोद सिंह पुत्र अमलदार सिंह के साथ उसकी मोटर सायकिल पर बैठकर भाग गया। उक्त घटना में घायल व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। जिसके संबंध में थाना उदयपुर में मु0अ0सं0 43/2023 धारा 302, 286, 504, 120बी भादवि व 25/27 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

### आपराधिक इतिहास-

01- ओम प्रकाश सिंह उर्फ पुराने सिंह पुत्र राजनरायन सिंह निवासी ग्राम ईश्वरी सिंह का पुरवा मजरे कुम्भी आइमा थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ तथा वर्तमान पता आदर्श नगर शुक्लागंज थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव का आपराधिक इतिहास-

01- मु0अ0सं0 43/2023 धारा 302, 286, 504, 120बी भादवि व 25/27 आर्म्स एक्ट थाना उदयपुर, प्रतापगढ़ ।

2- विनोद सिंह पुत्र अमलदार सिंह निवासी ग्राम ईश्वरी सिंह का पुरवा मजरे आइमा थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01- मु0अ0सं0 43/2023 धारा 302, 286, 504, 120बी भादवि थाना उदयपुर, प्रतापगढ़ ।